



**BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED**  
**OFFICE OF THE DIVISIONAL ENGINEER TELECOM PROJECT**  
**4<sup>TH</sup> FLOOR, TAX BHAWAN, AGRA-282003**

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82  
दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना

*Ninee*

संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।


9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, आगरा के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशों का पालन भी मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, आगरा द्वारा किया जायेगा कि आशय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उसका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण

*Ames*

तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बॉच ( ) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिसपर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय।

मैं मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, आगरा यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

  
(आर के मीना)  
मण्डलीय अभियन्ता,  
दूर संचार परियोजना,  
आगरा।



**BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED**  
**OFFICE OF THE DIVISIONAL ENGINEER TELECOM PROJECT**  
**4<sup>TH</sup> FLOOR, TAX BHAWAN, AGRA-282003**

प्रतिपूरक वनीकरण करने संबन्धी वचनबद्धता

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, आगरा द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

*(Handwritten Signature)*

(आर के मीना)  
मण्डलीय अभियन्ता,  
दूर संचार परियोजना,  
आगरा।

# NOTIFICATION

1	2	3	4	5	6	7	8
	22.	Gokul Feeder road	0	0	0	0	7 390 -do-
	23.	Baldeo Feeder road	0	0	0	0	4 508 -do-
	24.	Bombay -delhi in Mathura					
		Municipal road	782	3	454	3 7 7	330 -do-
14.	Agra	1. Agra- Bah- Kanchaura road	3	0	0	53	0 0 -do-
		2. Pharera- Bateshwar Jamuna ferry road	1	0	0	7	0 0 -do-
		3. Bah -Udi road	1	0	0	10	0 0 -do-
		4. Fatehabad Diversion miles 2,3.&4					-do-
		5. Taj road	2	3	0	0	-do-
		6. Agra-Shamshabad	3	0	0	18	0 0 -do-
		7. N.H.Route II B.D.	756	0	0	765	0 0 -do-
		8. N.H.Route III B.D	732	0	0	755	0 0 -do-
		9. Conservancy road	0	0	0	0	5 585 -do-
		10. Runkura Rly. Feeder road	0	0	0	0	5 0 -do-
		11. Jajhu Rly. Feeder road	0	0	0	0	0 545 -do-
		12. Agra-Etawah -fatehour road N.H.	4	0	0	3	0 0 -do-
		13. Tundla Etawah road	2	0	0	1	0 0 -do-
		14. Kuberpur-Etnadpur and Tundla Railway whole length feeder road	0	2	6	1	601 60 -do-
		15. A.F.S. road	1	0	0	23	0 0 -do-
		16. K.A.E road	16	0	0	24	0 0 -do-
		17. A.J.T. road	3	0	0	4	0 0 -do-
		18. Midhakar- Kirauli- F. Sikri, Achmora rly. feeder & Biara Village Feeder	0	0	0	0	1 49 -do-

*Alme*